सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0–19/2018–19

आवेदक– मिठुन रिख्यिासन

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– चामूडांगा

आदेश

22.4.19

आवेदक द्वारा दिनांक 19.11.18 को स्वयं उपस्थित होकर मौजा चामूडांगा में प्रधानी पद के रिक्त पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। दाखिल आवेदन पत्र की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, उधवा को आवेदन पत्र की छाया प्रति भेजी गयी एवं 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्ति के पश्चात मिठुन रिख्यिासन पिता स्व0 सुधीर रिख्यिासन ने आवेदन दाखिल कर कहा कि आवेदक के पिता पूर्व में मौजा चामूडांगा के प्रधान थे, जिनकी असमय आकस्मिक मृत्यू दिनांक 17.08.2018 को हो गयी। पिता की मृत्यू के उपरांत मौजा का प्रधान पद रिक्त है, जिससे मौजा का कार्य बाधित है। आवेदक मौजा चामूडांगा के प्रधान पद के लिए उपयुक्त है एवं मौजा के 16 आना रैयतों को भी आवेदक से कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक मौजा चामूडांगा के प्रधान पद के लिए योग्य है। अतएव आवेदक मिठुन रिख्यिासन को मौजा चामूडांगा के प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, उधवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा चामूडांगा एक प्रधानी मौजा है। स्व0 सुधीर रिख्यिासन मौजा चामूडांगा के अंतिम बहाल प्रधान थे। उनकी मृत्यू के बाद उक्त मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। आवेदक मिठुन रिख्यिासन, पिता– स्व0 सुधीर रिख्यिासन ने इस रिक्त पद के विरूद्ध प्रधानी पद पर बहाल होने हेतु आवेदन दायर किया है। आवेदक मृत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। इनका वंशावली निम्न प्रकार है:–

स्व0 सुधीर रिख्यिासन

पत्नी– साखो बेवा

↓

मिठुन रिख्यिासन (आवेदक) | छोटू रिख्यिासन

पूर्व प्रधान की मृत्यू दिनांक 17.08.2018 को हुयी है। तत्पश्चात दिनांक 19.11.2018 को उनके द्वारा प्रधानी पद पर बहाली हेतु आवेदन दायर किया गया है। उक्त मौजा में वर्तमान में एक ही आवेदन वंशानुक्रम के आधार पर आवेदक द्वारा दायर किया गया है। 16 आना रैयत भी मिठुन रिख्यिासन के प्रधान बनने पर संतुष्ट है। अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के तहत् वंशानुक्रम के आधार पर अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा श्री मिठुन रिख्यिासन को मौजा चामुडांगा के प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुशंसा किये है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक मिठुन रिख्यिासन पूर्व प्रधान स्व0 सुधीर रिख्यिासन का ज्येष्ठ पुत्र है तथा 16 आना रैयतों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। अतएव संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबूलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

ज्ञापांक 286/... दिनांक 23.7.19

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner